बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–2/अ0प्र0–1–51/2022 29 /पटना, दिनांक :– 27.3.23

चूँकि विभाग को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति निलंबित द्वारा कार्य प्रमंडल, खगड़िया अंतर्गत पदस्थापन काल में PMGSY के तहत बेला सिमरी से भगवानचक (पैकेज संख्या–BR-17R-072) पथ की फर्जी समय वृद्धि के आधार पर राशि की निकासी करने संबंधी वित्तीय अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए विभाग ने आदेश दिया है कि श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति निलंबित से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

27/3/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–51/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पट्ना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) कार्य दिवस के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

27/3/27

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–51/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति निलंबित, **मुख्यालय**–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

24/3/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–51/2022 646 /पटना, दिनांक :– 27.3.23

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, खगड़िया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/3/23

अभियंता प्रमुख